



## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) दिनांक 09.06.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञापित क्र.-4298/20/2024/अनु.-10

इंदौर दिनांक :- 19/09/2024

01/ विज्ञापन क्रमांक-30/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 31.03.2023।

(1)	विज्ञापित क्रमांक-12640/2022/अनु.-06 दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केविएट याचिका दायर किए जाने के संबंध में)।
(2)	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/16/2022 से 53/2022, दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)।
(3)	शुद्धि पत्र क्रमांक-03/16/2022 से 53/2022, दिनांक 25.07.2023 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)।
(4)	शुद्धि पत्र क्रमांक-04/30/2022, दिनांक 24.11.2023 (सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)।
(5)	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/30/2022, दिनांक 22.12.2023 (सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)।
(6)	विज्ञापित क्रमांक-3016/2024/प.नि. दिनांक 13.01.2024 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 तिथि परिवर्तन के संबंध में)।
(7)	विज्ञापित क्रमांक-3139/पेड/2024/प.-9, दिनांक 27.02.2024 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 को आयोजित परीक्षा के स्थगन के संबंध में)।
(8)	शुद्धि पत्र क्रमांक-07/16-53/2022 दिनांक 28.03.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु), एवं ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)।
(9)	शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022(समस्त विज्ञापित विषयों हेतु), एवं ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)।
(10)	शुद्धि पत्र क्रमांक-09/16-53/2022 दिनांक 27.05.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)।
(11)	शुद्धि पत्र क्रमांक-02/16/2022 से 51/2022 दिनांक 15.03.2023 (अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट के संदर्भ में)।
(12)	शुद्धि पत्र क्रमांक-11/30/2022 दिनांक 10.09.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा (गृह विज्ञान) परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य एवं प्रावधिक भाग की जानकारी)।

02/ उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) जिला मुख्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, मुरेना, रीवा, सागर, शहडोल एवं उज्जैन के केन्द्रों पर दिनांक 09.06.2024 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र गृह विज्ञान दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03/ उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	21	7	9	3	2	42
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	7	2	3	1	1	14
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)			-			-

04/ राज्य सेवा परीक्षा-2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक,

अविरत / .....

*Mishra*  
19.9.24

भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2022" के प्रकाश में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-17/2022/30.12.2022 में मुख्य एवं प्रावधिक भाग के विज्ञापित पदों के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.-55 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
2. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग में घोषित किया जाना है। सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु) के पदों का रिक्ति विवरण प्राप्त हुआ है। विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	पद का नाम	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद	मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों)	प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु)
1	सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान)	3	3	निरंक

उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) के परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग-अ के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल-131 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

अविरत / .....

*Amal*

**MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION**  
**ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (HOME SCIENCE) - PART A (MAIN)**  
**ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES**

S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO
1.	150001	37.	150124	73.	150389	109.	150775
2.	150003	38.	150126	74.	150412	110.	150777
3.	150005	39.	150131	75.	150444	111.	150780
4.	150006	40.	150132	76.	150448	112.	150785
5.	150008	41.	150136	77.	150465	113.	150792
6.	150012	42.	150145	78.	150473	114.	150815
7.	150016	43.	150148	79.	150486	115.	150830
8.	150017	44.	150151	80.	150497	116.	150834
9.	150023	45.	150160	81.	150509	117.	150839
10.	150025	46.	150162	82.	150516	118.	150842
11.	150027	47.	150164	83.	150525	119.	150880
12.	150028	48.	150171	84.	150526	120.	150907
13.	150030	49.	150177	85.	150529	121.	150928
14.	150034	50.	150178	86.	150562	122.	150972
15.	150037	51.	150187	87.	150576	123.	150983
16.	150040	52.	150192	88.	150597	124.	150987
17.	150044	53.	150227	89.	150606	125.	151013
18.	150047	54.	150229	90.	150611	126.	151017
19.	150051	55.	150248	91.	150619	127.	151068
20.	150058	56.	150259	92.	150620	128.	151070
21.	150061	57.	150261	93.	150630	129.	151075
22.	150062	58.	150262	94.	150642	130.	151089
23.	150065	59.	150268	95.	150673	131.	151097
24.	150068	60.	150271	96.	150674		
25.	150070	61.	150278	97.	150691		
26.	150080	62.	150283	98.	150692		
27.	150084	63.	150284	99.	150704		
28.	150086	64.	150299	100.	150705		
29.	150087	65.	150305	101.	150715		
30.	150095	66.	150315	102.	150716		
31.	150106	67.	150326	103.	150722		
32.	150112	68.	150350	104.	150731		
33.	150114	69.	150357	105.	150737		
34.	150115	70.	150361	106.	150743		
35.	150118	71.	150374	107.	150761		
36.	150120	72.	150381	108.	150769		

*Atimahi*

## प्रावधिक-(ब)

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक-1416/4369/2021/38-1, भोपाल, दिनांक 06.09.2024 के माध्यम से पुनरीक्षित पद विवरण प्राप्त हुआ है जिसमें प्रावधिक भाग-ब हेतु पदों की संख्या निरंक है। अतः सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) परीक्षा-2022 का प्रावधिक भाग-ब निरंक है।

साक्षात्कार हेतु लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

**मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर**

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक :- 30/2022 दिनांक 30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम : — सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान)		
अनुक्रमांक- .....	अभ्यर्थी का नाम :- .....		
स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
2	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
3	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
4	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
5	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
6	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
7	हाई स्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
8	हायर सेकेंडरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
9	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि। (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
10	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र)(छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
11	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र। (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र)(छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
12	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र। (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
13	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
14	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
15	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
16	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष :- (1) विज्ञापन क्रमांक-30/2022/30.12.2022 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28.03.2023 से दिनांक 27.04.2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (2) आयोग के शुद्धि पत्र क्रमांक-04/44/2022 दिनांक 24.11.2023 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 30.11.2023 से दिनांक 15.12.2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 का ई.डब्ल्यू. एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....

	अथवा (3) आयोग के शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.04.2024 से दिनांक 13.04.2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।		
17	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
18	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
19	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
20	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं सेवावधि का विवरण पत्रक की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	
21	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	
22	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि .....13.04.2024 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है।)	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
23	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
24	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	.....
25	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक .....से ..... तक	
	कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-.....

05/ साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्नक दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 10/10/2024 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

### महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।
6. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.mp.gov.in](http://www.mppsc.mp.gov.in) पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
7. उपरोक्तानुसार जारी प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में

लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.-5901/2019 एवं समान अन्य याचिकाओं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक-एस.एल.पी.-12398/2023 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

8. सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जनभागीदारी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण याचिका क्र.-WP No.-3709/2023, WP No.-10455/2023 एवं अन्य समान याचिकाओं का अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
9. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिए गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) की अंतिम उत्तरकुंजी में विलोपित किए गए प्रश्नों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदाय किए गए हैं अर्थात् दोनों प्रश्न पत्रों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक की गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक यथावत हैं।
11. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 10/10/2024 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,  
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,  
रेसीडेंसी एरिया,  
इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

  
उप परीक्षा नियंत्रक